

312
4

पञ्जाबी सहस्रत की गये। वकील डिप्टी ए
उपज फूल पञ्जाबी के साथ पत्र 154 CPT कीका
किपा गया। संशोधित शीट वाले पालना
लकीलदा के अग्रज के किपाया जाये। 15 जराप
में कन कौड कारकीरी अग्रहित नहीं होने
के कारण 15 जराप निपदानुसार दखिल करण
से नकार दे का है।